

प्रतिवेद्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता

आपराधिक अपील संख्या 1294/2023

(@ एसएलपी (आपराधिक) संख्या 4394/2021)

बोहेती देवी (मृतक) द्वारा विधिक प्रतिनिधि

... अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य।

... प्रतिवादी(गण)

सह

आपराधिक अपील संख्या 1295/2023

(@ एसएलपी (आपराधिक) संख्या 7708/2021)

निर्णय

न्यायमूर्ति एम.आर. शाह

1. आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 7093/2019 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित उस आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए मूल रिट याचिकाकर्ता ने वर्तमान अपील दायर की है, जिसके

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता- मृतक सत्यवीर उर्फ कल्लू की मां द्वारा दायर की गई उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें अपीलकर्ता ने सचिव (गृह), उत्तर प्रदेश राज्य, लखनऊ द्वारा 13.02.2019 को पारित आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत उन्होंने मुकदमा अपराध संख्या 1069/2014 में सीबीसीआईडी द्वारा आगे अन्वेषण करने का आदेश दिया था।

2. संक्षेप में वर्तमान अपील के तथ्य निम्नानुसार हैं:-

2.1 यह कि अपीलकर्ता के पुत्र - सत्यवीर उर्फ कल्लू की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। अपीलकर्ता के दामाद संजीव ने श्रीमती अंजू और दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस निरीक्षक, बड़ौत, जिला बागपत द्वारा विवेचना की गई, जिन्होंने 01.03.2015 को दो व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर 31.03.2015 को विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया था। उसके बाद अपीलकर्ता के परिवाद/प्रार्थना-पत्र पर, जिला अपराध शाखा को विवेचना सौंप दी गई। अश्विनी कुमार - यहां प्रतिवादी संख्या 8 (इसमें प्रतिवादी संख्या 9 का पुत्र) और श्रीमती अंजू - यहां प्रतिवादी संख्या 11 के खिलाफ 02.12.2016 को एक पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था। विद्वान मजिस्ट्रेट ने 21.12.2016 को इसका संज्ञान लिया। उसके बाद, प्रतिवादी संख्या 8 अर्थात् अश्विनी कुमार ने मुकदमा अपराध संख्या 1069/2014 से उत्पन्न प्रकरण संख्या 7626/2016 की पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के साथ-साथ 02.12.2006 दिनांकित आरोप पत्र को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष निरस्त करने की याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने 05.07.2017 को उक्त प्रार्थना-पत्र को खारिज कर दिया। 05.07.2017 के आदेश से व्यथित होने के कारण, प्रतिवादी संख्या 8- अश्विनी कुमार, विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 599/2017 के

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष आया, जिसे इस न्यायालय ने 24.08.2018 को खारिज कर दिया। इस न्यायालय ने दिनांक 15.09.2017 के आदेश द्वारा प्रतिवादी संख्या 8 को दी गई अंतरिम सुरक्षा को भी समाप्त कर दिया। विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागपत ने दिनांक 08.09.2018 के आदेश द्वारा प्रतिवादी संख्या 8 के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया। उसके बाद और प्रतिवादी संख्या 8 के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किए जाने के बाद, आरोपी अश्विनी कुमार की मां ने सीबीसीआईडी को अन्वेषण(विवेचना) स्थानांतरित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के सचिव (गृह) को दिनांक 23.01.2019 को एक आवेदन दिया, अन्य बातों के साथ-साथ, इस आधार पर कि प्रतिवादी संख्या 8 को दो गवाहों के बयानों के आधार अभियुक्त बनाया गया है, जो वास्तव में जेल में थे और इसलिए उनके बयानों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। दिनांक 13.02.2019 के आदेश द्वारा, सचिव (गृह) उ.प्र. राज्य, लखनऊ ने सीबीसीआईडी द्वारा आगे के अन्वेषण का आदेश दिया। सचिव (गृह) द्वारा सीबीसीआईडी को अन्वेषण स्थानांतरित करने के आदेश को वर्तमान याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि विद्वान मजिस्ट्रेट को सूचित करने के बाद आगे के अन्वेषण(विवेचना) का आदेश दिया गया था और इसलिए सचिव (गृह) द्वारा आगे की विवेचना करने का निर्देश देने वाले आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश वर्तमान अपील का विषय है।

3. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री विभा दत्ता मखीजा, अपीलकर्ता की ओर से पेश हुई हैं और विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. नागामुथु और श्री रामेश्वर सिंह

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

मलिक, प्रतिवादी संख्या 8 और 11 की ओर से पेश हुए हैं। हस्तक्षेपकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद संजय एम. नूली पेश हुए हैं।

4. अपीलकर्ता की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री मखीजा ने बलपूर्वक कहा है कि सचिव (गृह) द्वारा सीबीसीआईडी को आगे की विवेचना हस्तांतरित करने का आदेश पूरी तरह से अवैध है और दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के विपरीत है।

4.1 यह कहा गया है कि वर्तमान मामले में राज्य की विवेचना एजेंसी द्वारा गहन विवेचना के बाद, प्रतिवादी संख्या 8 और 11 के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। यह कहा गया है कि एक बार आरोप पत्र दायर किए जाने के बाद, एक आरोपी की मांग के कहने पर, सचिव (गृह) को आगे की विवेचना को हस्तांतरित नहीं कर सकते थे।

4.2 यह बलपूर्वक कहा गया है कि सचिव (गृह) द्वारा विवेचना के स्थानांतरण का ऐसा आदेश और वह भी एक अभियुक्त की मांग के कहने पर, विधि के विपरीत है और यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।

4.3 विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री मखीजा द्वारा आगे कहा गया है कि वास्तव में जिन आधारों पर विवेचना को अंतरित करने की मांग की गई थी, उन्हें अभियुक्त की ओर से बचाव कहा जा सकता है जिन पर विचारण के समय विचार किया जाना अपेक्षित है। यह कहा गया है कि इस प्रकार सीबीसीआईडी को विवेचना के हस्तांतरण का आदेश पारित करके और सीबीसीआईडी द्वारा बाद में की गई विवेचना वास्तव में उन अभियुक्तों को बरी कर देती है, जिनके खिलाफ पूरक आरोप पत्र में आरोप पत्र दायर किया गया है और यह प्रतिवादी संख्या 8 और 11 के खिलाफ आरोप पत्र को निरस्त करने के बराबर होगा, जो इस तरह से स्वीकार्य नहीं है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

4.4 अपीलकर्ता की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री मखीजा द्वारा यह कहा गया है कि वास्तव में यह आगे की विवेचना का मामला नहीं है, बल्कि यह पुनःविवेचना का मामला है और इसलिए पुनःविवेचना के लिए मजिस्ट्रेट की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। यह कहा गया है कि वर्तमान मामले में, सचिव (गृह) ने पहले एक निर्णय लिया और विवेचना को सीबीसीआईडी को स्थानांतरित करने के लिए आदेश पारित किया और उसके बाद, विवेचक ने केवल विवेचना(अन्वेषण) के हस्तांतरण के बारे में विद्वान मजिस्ट्रेट को सूचित किया, जिसे कानून द्वारा विशेष रूप से सीआरपीसी की धारा 173 (8) द्वारा अपेक्षित सम्यक प्रक्रिया का पालन करना नहीं कहा जा सकता है।

4.5 आगे यह कहा गया है कि तथ्यों पर भी, उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त करते हुए वस्तुतः गलती की है कि विवेचना का निदेश देने वाला आदेश संबंधित मजिस्ट्रेट की सहमति से पारित किया गया था। यह कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 8 के विद्वान अधिवक्ता भी उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क देने में गलत थे कि सचिव (गृह) द्वारा पारित विवेचना का आदेश, ऐसा करने के लिए सक्षम मजिस्ट्रेट की अनुमति लेने के बाद पारित किया गया था। यह तर्क दिया गया है कि ऐसा कुछ भी अभिलेख पर नहीं है कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा कोई अनुमति मांगी गई थी और मंजूर की गई थी। यह कहा गया है कि जो कुछ भी अभिलेख पर है वह केवल विद्वान मजिस्ट्रेट को सूचित करना है और इससे अधिक कुछ नहीं है।

4.6 यह भी कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को उचित रूप से नहीं समझा और विचार नहीं किया है कि प्रतिवादी संख्या 8 और 11 के खिलाफ 02.12.2016 दिनांकित पूरक आरोप-पत्र के अनुसार आरोप-पत्र दायर किया गया था, जिसका विद्वान मजिस्ट्रेट ने 21.12.2016 को संज्ञान लिया था और उसके बाद, प्रतिवादी संख्या 8 ने आरोपपत्र सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

को रद्द करने की प्रार्थना की और प्रतिवादी संख्या 8 इस अदालत में विफल रहा और उसके बाद ही, जब गैर-जमानती वारंट जारी किया गया, तो उसकी ओर से विवेचना के हस्तांतरण के लिए एक आवेदन दिया गया। यह प्रस्तुत किया गया है कि एक बार आरोप पत्र दायर किया गया और यहां तक कि रद्द करने की याचिका भी इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी, तो उसके बाद अभियुक्त या उसकी ओर से आगे का अन्वेषण/पुनःअन्वेषण का कोई आवेदन देने का कोई विकल्प नहीं था।

4.7 पूर्वोक्त तर्क रखते हुए, वर्तमान अपील को अनुमति प्रदान करने और सचिव (गृह) द्वारा अन्वेषण को सीबीसीआईडी को स्थानांतरित करने के आदेश को अभिखंडन करने और अपास्त करने का अनुरोध किया गया है।

5. वर्तमान अपील का विरोध करते हुए, राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान एएजी श्री अर्धेन्द्रमौली कुमार प्रसाद ने जोरदार ढंग से कहा है कि इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि आगे के अन्वेषण का मामला बनता है और अभियुक्त सहित सभी पक्षों के साथ पूर्ण न्याय करने के लिए आगे अन्वेषण की आवश्यकता है, सचिव (गृह) द्वारा सीबीसीआईडी द्वारा आगे अन्वेषण का आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। यह कहा गया है कि सचिव (गृह) द्वारा विभाग के प्रमुख होने के नाते पारित आदेश प्रशासनिक आधार पर था और उसके बाद, संबंधित विवेचक ने विद्वान मजिस्ट्रेट को अन्वेषण के हस्तांतरण/आगे के अन्वेषण के बारे में सूचित किया जो कानून के तहत अपेक्षित है।

5.1 वर्तमान अपील का विरोध करते हुए, प्रतिवादी संख्या 8 और 11 की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं श्री एस. नागामुथु और श्री रामेश्वर सिंह मलिक ने जोरदार तरीके से कहा है कि निष्पक्ष अन्वेषण अभियुक्त और पीड़ित का

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

अधिकार है। यह कहा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(8) विवेचक को उस मामले का आगे अन्वेषण करने की अनुमति देती है जिसके लिए विद्वान मजिस्ट्रेट की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यह कहा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता धारा 173(8) के तहत, विवेचक को आगे अन्वेषण का अधिकार है। **आंध्र प्रदेश राज्य बनाम ए.एस. पीटर (2008) 2 एससीसी 383 (प्रस्तर 9)** के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर अवलम्ब लिया गया है।

5.2 यह कहा गया है कि जैसा कि **राम लाल नारंग बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) (1979) 2 एससीसी 322** के मामले में देखा और अभिनिर्धारित किया गया है, अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों के हित में, पुलिस को आगे अन्वेषण करने और एक पूरक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की शक्ति होनी चाहिए।

5.3 अभियुक्त की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे यह कहा गया है कि वर्तमान मामले में भी, जिला अपराध शाखा (संबंधित पुलिस थाने के विवेचक के अलावा) द्वारा आगे अन्वेषण किया गया था, जो अपीलकर्ता के प्रार्थना-पत्र/परिवाद पर किया गया था और पूरक आरोप-पत्र के अनुसार प्रतिवादी संख्या 8 और 11 के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया गया। यह कहा गया है कि उसके बाद, जब अभियुक्त की मां के आवेदन पर सीबीसीआईडी द्वारा आगे अन्वेषण का आदेश दिया गया है, तो अपीलकर्ता के लिए यह शिकायत करने की अनुमति नहीं है कि किसी अन्य एजेंसी – सीबीसीआईडी द्वारा आगे अन्वेषण करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है।

5.4 अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे यह कहा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 158 सपठित 173(3) के अनुसार भी, किसी अन्य एजेंसी द्वारा अन्वेषण अनुज्ञेय है।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

5.5 प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नागमुथु द्वारा आगे यह कहा गया है कि यथा आदेशित सीबीसीआईडी द्वारा अन्वेषण के बाद, एक और रिपोर्ट विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और उसके बाद, विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष तीन रिपोर्टें होंगी, एक चार्जशीट के आधार पर, दूसरा पूरक चार्जशीट के आधार पर और तीसरा सीबीसीआईडी द्वारा आगे अन्वेषण के आधार पर और उसके बाद, अंततः रिपोर्टों पर मजिस्ट्रेट को विचार करना है। यह कहा गया है कि इसलिए तीसरी रिपोर्ट पर भी विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा विचार किया जाए और इसलिए इस न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

6. हमने संबंधित पक्षों की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना। हमने हस्तक्षेपकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद एस. नूली को भी सुना है।

7. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी संख्या 8 और 11 के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 120-ख के तहत अपराध के लिए आरोप-पत्र दायर किया गया है, जिसका संज्ञान दिनांक 21.12.2016 को विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया है। तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 8 ने आरोप-पत्र/पूरक आरोप-पत्र सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष निरस्त करने की याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने निरस्त करने की याचिका खारिज कर दी। इसलिए अभियुक्त ने उन सभी बचावों को लिया होगा जो याचिका को रद्द करने पर विचार करते समय उसके लिए उपलब्ध हो सकते थे, जिसमें वह आधार भी शामिल है जिस पर अब किसी अन्य एजेंसी, अर्थात् सीबीसीआईडी द्वारा आगे के अन्वेषण/पुनः अन्वेषण करने का आदेश दिया गया है। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि इसके बाद,

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

प्रत्यर्थी संख्या 8 ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और विशेष अनुमति याचिका को इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया और प्रतिवादी संख्या 8 के पक्ष में अंतरिम संरक्षण समाप्त हो गया। उसके बाद, प्रत्यर्थी संख्या 8 के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया और उसके बाद ही, प्रत्यर्थी संख्या 8- अभियुक्त की मां ने आगे के अन्वेषण के लिए सचिव (गृह) के समक्ष एक प्रार्थना-पत्र दिया और उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर अन्वेषण को सीबीसीआईडी को स्थानांतरित कर दिया कि हत्या के तथाकथित चश्मदीद गवाह, चश्मदीद गवाह नहीं थे। अभियुक्त की मां के अनुरोध को सचिव (गृह) द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और इस तथ्य के बावजूद कि प्रथम आरोप-पत्र के बाद, विवेचना को आगे विवेचना के लिए जिला अपराध शाखा को सौंप दिया गया था, विवेचना को दूसरी एजेंसी, अर्थात्, सीबीसीआईडी को स्थानांतरित कर दिया गया है और उन्होंने पूरक आरोप-पत्र दाखिल किया जिसमें प्रतिवादी संख्या 8 और 11 के खिलाफ भी आरोप-पत्र दाखिल किया गया था। इस प्रकार यह आगे की विवेचना का मामला नहीं है, बल्कि किसी अन्य एजेंसी द्वारा फिर से विवेचना का मामला है। सचिव (गृह) द्वारा अभियुक्त की मां द्वारा प्रस्तुत आवेदन/परिवाद के आधार पर अन्वेषण को हस्तांतरित करने/किसी अन्य एजेंसी द्वारा आगे की विवेचना का आदेश देने वाला आदेश कानूनन सही नहीं है।

7.1 इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि आरोप-पत्र दाखिल किए जाने के बाद भी यह विवेचक का अधिकार है कि वह दंड प्रक्रिया संहिता धारा 173 की उपधारा (2) के अधीन मजिस्ट्रेट को अग्रेषित रिपोर्ट के बाद भी अपराध के संबंध में आगे अन्वेषण करे और जैसा कि इस न्यायालय द्वारा मत व्यक्त किया गया और अभिनिर्धारित किया गया है कि मजिस्ट्रेट के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। तथापि, विधि की स्थापित स्थिति के अनुसार, जहां

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

तक पुनः अन्वेषण का संबंध है, मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति/अनुमोदन अपेक्षित है। वर्तमान मामले में, सचिव (गृह) ने सीबीसीआईडी द्वारा आगे के अन्वेषण के लिए एक आदेश पारित किया है और उसके बाद, सीबीसीआईडी ने विद्वान मजिस्ट्रेट को सूचना भेज दी है। जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पाया गया है, विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा कोई पूर्व अनुमोदन/अनुमति नहीं दी गई है। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश में कहा है कि आगे अन्वेषण करने का आदेश मजिस्ट्रेट की सहमति से दिया गया है, जो तथ्यात्मक रूप से गलत है। अभिलेख पर केवल यह है कि विद्वान मजिस्ट्रेट को एक सूचना दी गयी, जिसे किसी भी तरह से विद्वान मजिस्ट्रेट की सहमति नहीं कहा जा सकता है।

7.2 किसी भी मामले में, जैसा कि यह पुनःअन्वेषण का मामला है, इसकी अनुमति नहीं है और वह भी किसी अन्य एजेंसी द्वारा विद्वान मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना, सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भी नहीं है। कानून के किस प्राधिकार के तहत, सचिव (गृह) ने अन्वेषण को किसी अन्य एजेंसी को स्थानांतरित कर दिया है और/या किसी अन्य एजेंसी द्वारा आगे के अन्वेषण का आदेश दिया है, यह नहीं बताया गया है और वह भी अभियुक्त के कहने पर, इस आधार पर कि जिसे अभियुक्त का बचाव कहा जा सकता है, जिस पर सुनवाई के समय विचार किए जाने की अपेक्षा होती है। अभियुक्त की ओर से यह कहना कि सचिव (गृह) विभाग का प्रमुख है और किसी अन्य एजेंसी द्वारा आगे के अन्वेषण का आदेश प्रशासनिक आधार पर दिया गया था और इसलिए, सचिव (गृह) द्वारा आगे के अन्वेषण का आदेश देना उचित है, इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जहां तक दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अन्वेषण का संबंध है, संबंधित पुलिस थाने का पुलिस अधिकारी, जो विवेचक है, को पुलिस अधीक्षक की देखरेख में मामले का अन्वेषण/आगे का अन्वेषण करना होगा। जहां तक सचिव (गृह) का संबंध है,

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

वह इस परिदृश्य में बिल्कुल भी नहीं आते हैं। यदि ऐसे शक्तियाँ सचिव (गृह) को दी जाती हैं, तो उस स्थिति में, कोई भी अभियुक्त, जिसके खिलाफ पहले से ही आरोप पत्र दिया गया है, वह सचिव (गृह) की शरण में जा सकता है और किसी अन्य एजेंसी द्वारा आगे का अन्वेषण या पुनःअन्वेषण का आदेश प्राप्त कर सकता है और पहले के आरोप पत्र को रद्द करवाते हुए नई रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है और खुद को आरोपमुक्त करा सकता है। यदि अभियुक्त आरोप-पत्र से व्यथित है, तो उस स्थिति में उसके पास यह उपचार उपलब्ध है कि वह या तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन निरस्त करने की याचिका दाखिल करे और/या विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष उन्मोचन के लिए समुचित आवेदन प्रस्तुत करे और उच्च न्यायालय और/या विद्वान मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, के पास अधिकार है कि वह आपराधिक कार्यवाही को रद्द करे या अभियुक्त को उन्मोचित करे। सचिव (गृह) और/या किसी अभियुक्त, जिसके खिलाफ पहले से ही आरोप-पत्र दाखिल किया गया है, को ऐसे प्रावधान को दरकिनार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी संख्या 8- अभियुक्त ने पहले निरस्त करने की याचिका दायर की थी, लेकिन वह विफल हो गया।

7.3 अब, जहां तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(3) का अवलंब लेते हुए अभियुक्त की ओर से तर्क दिए जाने का संबंध है, धारा यह उपबंध करती है कि मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट कैसे प्रस्तुत/भेजी जाए और कौन मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजेगा। इसमें प्रावधान किया गया है कि जहां धारा 158 के तहत का एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है, वहां रिपोर्ट उस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की जाएगी और वह मजिस्ट्रेट के आदेश के लंबित रहने के दौरान पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को आगे का अन्वेषण करने का निर्देश दे सकता है। इसलिए धारा 173(3) संपठित धारा 158 सचिव (गृह) को संबंधित पुलिस थाने के

उद्धोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

प्रभारी अधिकारी और/या उसके वरिष्ठ अधिकारी के अलावा किसी अन्य एजेंसी द्वारा आगे के अन्वेषण/पुनः अन्वेषण का आदेश देने की अनुमति नहीं देती है।

8. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों से, वर्तमान अपील सफल होती है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को निरस्त और अपास्त किया जाता है। परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय के समक्ष आक्षेपित, सचिव (गृह) द्वारा पारित 13.02.2019 के उस आदेश को एतद्द्वारा रद्द और अपास्त किया जाता है, जिसके द्वारा सचिव (गृह), उत्तर प्रदेश राज्य, लखनऊ ने मुकदमा अपराध संख्या 1069/2014 अन्तर्गत धारा 302 और 120-ख आईपीसी थाना बरौत जिला बागपत के वाद को सीबीसीआईडी द्वारा पुनःअन्वेषण करने का आदेश दिया था। परिणामतः सीबीसीआईडी द्वारा किए गए आगे के अन्वेषण/पुनः अन्वेषण को भी निरस्त और अपास्त किया जाता है। हालांकि यह पाया गया है कि सभी बचाव जो अभियुक्तों के पास उपलब्ध हो सकते हैं, विचारण के समय विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विचार किए जाने हैं। तदनुसार वर्तमान अपील को अनुमति प्रदान की जाती है।

जैसा कि हमने मृतक की मां (अब मृत, द्वारा विधिक प्रतिनिधि) द्वारा दायर एसएलपी (आपराधिक) संख्या 4394/2021 से उत्पन्न दाण्डिक अपील को स्वीकार कर लिया है, इसलिए मूल अभियुक्त संख्या 6 और 7 द्वारा उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट के विरुद्ध दायर एसएलपी (आपराधिक) संख्या 7708/2021 से उत्पन्न दाण्डिक अपील खारिज हो जाएगी।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

.....
[न्यायमूर्ति एम. आर. शाह]

.....
[न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार]

नई दिल्ली;

28 अप्रैल 2023.

.

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”